

क्र० सं०	पूरा सं०	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	राशि (₹ लाखों में)
1	8 (क)	अनुदानों का व्यय हेतु क्षेप	422.81
2	8 (ख)	अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	137.35

गर्ह गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्नलिखित है:-

नगर पंचायत गारंट के अवधि 04/23 से 03/24 तक के लेखों के अंकेक्षण में पाई

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमती सुषमा रानी	1.04.2023 से 31.03.2024

2) सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री सुरिंदर सिंह	1.04.2023 से 31.03.2024

1) प्रधान:-

निम्नानुसार थे:-

अंकेक्षण अवधि 1.04.2023 से 31.03.2024 तक नगर पंचायत गारंट के प्रधान व सचिव

जाने के दृष्टिकोण नगर पंचायत गारंट के लेखों का अंकेक्षण किया गया।

पंचायतों के लेखों के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, डि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे 1-376 / 81 - फिन (एल०ए०) -खण्ड - iv, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या म्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की

(क) प्रारम्भिक:-

भाग एक

अवधि 1-04-2023 से 31-03-2024

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

नगर पंचायत गारंट, तहसील धनारी, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के लेखों का

नगर पंचायत गारेट द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिवार्य पैरों पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई थी। वर्तमान अंकेक्षण उपरांत पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट-"क" पर दिया गया है। नगर पंचायत द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करना अर्थात् विन्यासक है। अतः नगर पंचायत इन लान्ड पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/ कार्रवाई सुनिश्चित करे, तदनुसार अपेक्षित

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

3	9 (क)	गृहकार की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	31.21
4	9 (ख)	गृह कर की बकाया राशि पर सरचार्ज न लगाने के कारण विलीय होना	3.12
5	10 (क)	दुकानों के किराये की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	6.14
6	11	चौकी कर की वसूली हेतु शेष	0.62
7	12	मीबाईल टावरों के स्थापना / नवीनीकरण शुल्क वसूली हेतु शेष	2.63
8	16	घर-घर कैंडा संग्रहण प्रयत्नों की वसूली न करना	4.12
9	17	टैंड लाइसेंस फीस की वसूली न करना	6.45
10	18	बस अड्डा की नीलामी का ठेका गत वर्ष की ठेका राशि की तुलना में कम दरों पर आबंटित करने के कारण विलीय होना	2.46
11	19	गलत वेतन निर्धारण के कारण वेतन एवं भत्तों के रूप में अधिक एवं गलत भुगतान	1.76
12	20	अवधि 1.07.22 से 31.08.2023 की तुलना में अवधि 1.09.23 से 31.03.2024 तक अधिक सफाई कर्मचारी ठेके पर लेने के कारण नगर पंचायत को हुई विलीय होना	5.93
13	21	पेवर्स ब्लॉक्स 80 एम० एम० का अनियमित क्रय	4.97
14	22	Buy-back of Non-recyclable and Single Use Plastic Waste including plastic bags की वसूली सम्बन्धित विभाग से न करना	1.26
15	23	सविदाकार बिल से प्रतिभूति की कटौती न करना	0.67

अंकेक्षण शृंखला का विवरण **परिशिष्ट - (क - 1)** पर दिया गया है।
निदेशक, हि. प्र. राज्य लेखा विभाग, बिमला-9 के नाम पंजीकृत डाक द्वारा भेज दिया गया है।
को पंजाब नेशनल बैंक शाखा गगरेट के बैंक ड्राफ्ट संख्या-820711 दिनांक 14.05.2024 द्वारा
भेजने हेतु अनुरोध किया गया। सचिव, नगर पंचायत गगरेट द्वारा उक्त अंकेक्षण शृंखला की राशि
को निदेशक, हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, बिमला-171009 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से
सहायक निपन्त्रक की अंकेक्षण अधिपानना संख्या-203 दिनांक 13.05.2024 द्वारा उक्त राशि
अंकेक्षण एवं निरीक्षण का अंकेक्षण शृंखला ₹21600 आँका गया। सचिव, नगर पंचायत गगरेट से
नगर पंचायत गगरेट के अवधि 1.04.2023 से 31.03.2024 तक के लेखों के

3 **अंकेक्षण शृंखला :-**

संनिहित है।
तथा हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग की बिमला-9 के बैंक अंकेक्षण हेतु चयनित मासों तक ही
गर्दे के कारण अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
कादावाही गर्दे किसी भी प्रकार की गलत/अपूर्ण सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई
अभिलेख के आधार पर किया गया है। हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध
प्रतिवेदन का प्रारूप सचिव, नगर पंचायत गगरेट द्वारा उपलब्ध करवाई गर्दे सूचनाओं एवं
अस्वीकरण (Disclaimer) :- प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण

2023-24	3/2024	09/2023
वित्तीय वर्ष	आय	व्यय

प्रकार से किया गया।

अनुच्छेदों में दिये गये हैं। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न
द्वारा दिनांक 1.05.2024 से 16.05.2024 तक गगरेट में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती
कार्य श्री राज कुमार, सहायक निपन्त्रक (लेखा परीक्षा) व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल सहायक
नगर पंचायत गगरेट के लेखों अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक का अंकेक्षण

2 **वर्तमान अंकेक्षण :-**

भाग- दो

समायोजन/ निपटारा सम्भव हो सके।
अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए, ताकि अधिक से अधिक पुरों का

- (i) गुलन पत्र (Balance Sheet)
- (ii) आप-व्यय विवरणी (Income and Expenditure statement)
- (iii) नकदी प्रवाह विवरणी (Statement of Cash Flow)
- (iv) प्राप्ति एवं भुगतान विवरणी (Receipt and Payment Statement)
- (v) लेखों पर टिप्पणी (Notes to accounts)
- (vi) वित्तीय प्रदर्शन सूचक (Financial performance indicator)

ሰነድ ዘጠይቅ የገንዘብ ጥቅ

नगर परिषद/नगर पंचायत अधिनियम - 1994 के अंतर्गत नगर परिषद/नगर पंचायत के Accounts Manual के पैरा संख्या 27.4 के अनुसार नगर पंचायत/नगर परिषद द्वारा निम्नलिखित वितीय विवरणियां तैयार की जानी आवश्यक है। अंकेक्षण के दौरान निम्न वर्णित वितीय विवरणियां आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत करने बारे अंकेक्षण अधिवाचना संख्या- 214 दिनांक 14.05.2024 द्वारा अनुरोध किया गया था। जिसके प्रतिपत्तर में सविब, नगर पंचायत नगरदे के पत्र संख्या- न०५०/ नगरदे/327 दिनांक 15.05.24 द्वारा स्पष्ट किया कि वितीय विवरणियां तैयार की जा रही है। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः नगर पंचायत द्वारा वितीय विवरणियां तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व बांछित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इसे विभागा

4.1 ବିଦ୍ୟା ବିବରଣି :-

क्रम	संख्या	बैंक का नाम	राशि (₹)
1	65186448810	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया गारंट	539656.00
2	3986000100139774	पंजाब नेशनल बैंक गारंट	631774.00
3	3986000100128051	पंजाब नेशनल बैंक गारंट	741303.00
4	3986000100021110	पंजाब नेशनल बैंक गारंट	11737635.83
5	3986000100000010	पंजाब नेशनल बैंक गारंट	3100008.00
6	50100066640611	एच० डी० एफ० सी० गारंट	2583831.16
7	50100335236060	एच० डी० एफ० सी० गारंट	26920701.30
8	50100487805140	एच० डी० एफ० सी० गारंट	4036549.00
		योग	49722858.29

(क) दिनांक 31.03.2024 को नगर पंचायत गारंट की मुख्य रोकड़ बही में विभिन्न बैंकों के जमा शेष राशि का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

शीर्षक का नाम	आरंभिक शेष	आय	बाज	कुल योग	व्यय	हस्तांतरित राशि (₹)	अन्तिम शेष (₹)
स्वयं स्वीत	7049393	5697179	1504254	14250826	6682380	0.00	7568446.00
अनुदान	38947282	17119129	0.00	56066411	13735335	50000.00	42281076.00
योग	45996675.00	22816308	1504254	70317237	20417715	50000	49849522.00

वित्तीय वर्ष 2023-24

अनुसार अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है:-

नगर परिषद गारंट द्वारा यथा परिशिष्ट - (ख) पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के

5 वित्तीय स्थिति :-

सुनिश्चित किया जाए।

स्पष्ट किया जाए व सभी लेखा खातों को दोहरा लेखा पद्धति के आधार पर तैयार किया जाना वर्ष 2023-24 के लेखा खातों को दोहरा लेखा पद्धति के आधार पर तैयार न करने का औचित्य पद्धति इस वित्तीय वर्ष 2024-25 से लागू कर दिया गया है। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः वित्तीय गारंट के पत्र संख्या- न०प०/ गारंट/327 दिनांक 15.05.24 द्वारा स्पष्ट किया कि दोहरा लेखा

5.1 (क) बैंक समाधान विवरणी :-

दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष							49849522.00
जमा :- बैंक निर्मित किए गए लेकिन दिनांक 31.03.24 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए।							
क्रम	बैंक संख्या	दिनांक	बैंक का नाम	राशि (₹)	डिबिट करने की तिथि		15866.00
1	308315	28.03.24	PNB Garet	10000	6.04.24		
2	000039	28.03.24	HDFC Garet	5866	5.04.24		
			Total	15866			
जमा :- दिनांक 15.03.2024 को अधिक जमा करवाई गई राशि							1.00
जमा:- दिनांक 31.03.24 को बैंक द्वारा क्रेडिट दिए गए ब्याज का रोकड़ बही में दे-दाल न करना							259310.00
क्रम	खाता संख्या	दिनांक	बैंक का नाम	राशि (₹)	रोकड़ बही में दर्ज करने की तिथि		
1	50100066640611	31.03.24	एचडीएफसी बैंक गारंटेड	18809.00	1.04.24		
2	50100335236060	31.03.24	एचडीएफसी बैंक गारंटेड	210615.00	1.04.24		
3	50100487805140	31.03.24	एचडीएफसी बैंक गारंटेड	29886.00	1.04.24		
			योग	259310.00			
जमा :- पूर्णक करना (Round off)							0.29
घटाव:- बैंक बैंक में वसूली हेतु भुगतान लेकिन दिनांक 31.03.2024 तक बैंक द्वारा क्रेडिट प्रदान नहीं किया गया।							289207.00
क्रम	बैंक संख्या	दिनांक	बैंक का नाम	राशि (₹)	क्रेडिट करने की तिथि		289207.00
1	229191	30.03.24	केम् सी० सी०	252520	3.04.24		
2	000077	30.03.24	एचडीएफसी गारंटेड	4021	3.04.24		
3	000254	30.03.24	यू० को० बैंक गारंटेड	8056.00	5.04.24		

गया है :-

अंकक्षण अवधि 1.04.2023 से 31.03.2024 तक विभिन्न संस्थाओं से नगर पंचायत गारंटेड को प्राप्त अर्जुन राशिओं की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है। जिसका विवरण **परिशिष्ट - (घ)** पर भी दिया

अर्जुन

वित्तीय वर्ष	आय	(स्वयं स्वतः+अर्जुन+ब्याज)	व्यय
2021-22	27309140	23651433	
2022-23	33492420	24973623	
2023-24	24320562	20467715	

नगर पंचायत गारंटेड की गत तीन वर्षों की आय व व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

नगर पंचायत गारंटेड के गत तीन वर्षों की आय व व्यय का विवरण:-

क्रम	संख्या	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि (₹)
1	3986000100023172	पी० एन० बी० गारंटेड		10769992.51

दिनांक 31-03-2024 तक बैंक बचत खाते में जमा शेष राशि:-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुलयोग	व्यय	अन्तिम शेष (₹)
2023-24	10744042.51	719263	300783	11764088.51	994096	10769992.51

एवं उपर्युक्त निधि की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है:-

नगर पंचायत गारंटेड द्वारा यथा **परिशिष्ट - (ग)** पर उपलब्ध करवाई गई संचयन के अनुसार पेशान

6 पेशान एवं उपदान निधि :-

पेशान :- वसूली राशि					
क्र.सं.	विवरण	दिनांक	राशि	कुल योग	बैकों के अनुसार अन्तिम शेष
4	00000050	30.03.24	एच० डी० एफ० सी० गारंटेड	16707.00	497222858.29
5	451219	30.03.24	पी० एन० बी० गारंटेड	7903.00	
			Total	289207.00	
					112634.00

अंकेक्षण अध्यायना संख्या- 215 दिनांक 14.05.2024 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत गंगरेठ अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया गया। उपपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करने का प्रकरण अनुदान रजिस्टर व न ही अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित जारी किए गए उपपयोगिता प्रमाण पत्रों को की गई थी, की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी, क्योंकि नगर परिषद द्वारा न तो था लेकिन अनुदान की राशि जिन-जिन उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नगर परिषद द्वारा व्यय द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अनुदान राशि में से क्रमशः ₹13735335 का व्यय किया गया अंकेक्षण को यथा पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर पंचायत

करना:-

(ख) अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित ₹137.35 लाख के उपपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न

विभाग को किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। एवं लक्ष्यों हेतु समयबद्ध व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित स्थिति स्पष्ट करते हुए, इसे सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित उद्देश्यों ही कर लिया जायेगा। अतः अनुपयुक्त अनुदान राशि को समयबद्ध उपयोग न किसे जाने बारे संख्या- न०५०/ गंगरेठ/327 दिनांक 15.05.24 द्वारा स्पष्ट किया कि अनुदान राशि का व्यय शीघ्र पंचायत गंगरेठ के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतिपत्तर में सचिव, नगर पंचायत गंगरेठ के पत्र का प्रकरण अंकेक्षण अध्यायना संख्या- 206 दिनांक 13.05.2024 के अंतर्गत सचिव, नगर लाभी से वित्त होना पड़ा। दिनांक 31.03.2024 तक अनुदानों की शेष राशि को व्यय न करने तरफ नगर पंचायत के विकासार्थक कार्य भी प्रभावित हुए हैं तथा जनता को भी प्राप्त होने वाले न करने के कारण जहाँ एक ओर अनुदान राशियों का अनावश्यक अवरोधन हुआ है, वहीं दूसरी अनुदान राशियों को निर्धारित समयावधि के भीतर निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यय 31.03.2024 को विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹42281076 व्यय हेतु शेष थी अंकेक्षण को यथा पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक

(क) अनुदानों की ₹422.81 लाख व्यय हेतु शेष :-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	कुल योग (₹)	वर्ष के दौरान व्यय	हस्तांतरित राशि (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2023-24	38947282	17119129	56066411	13735335	50000	42281076
	(₹)	(₹)		(₹)	राशि (₹)	

(क) गृहकार की बकाया ₹31.21 लाख वर्सूली हेतु शेष:-

पत्रों सहित सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। विवरण अनुदान रजिस्टर में दर्ज किए जाएं व सम्पूर्ण अभिलेख जारी किए गए उपयोगिता प्रमाण राशि के व्यय से सम्बन्धित सम्पूर्ण ब्यौरा जैसे कि माह / दिनांक, जिल / वाऊचर इत्यादि से संबंधित प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक अनुदान गारंटे/327 दिनांक 15.05.24 द्वारा स्पष्ट किया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतिपुनर में सचिव, नगर पंचायत गारंटे के पत्र संख्या- न०५०/ गारंटे/327 दिनांक 13.05.2024 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत गारंटे के ध्यानार्थ लाया गया।

सुनिश्चित की जाए तदनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अज्ञात करवाया जाए। जाता है कि गृहकार की वर्सूली हेतु प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करनी 15.05.24 द्वारा स्पष्ट किया कि बकाया राशि की वर्सूली शीघ्र कर ली जाएगी। अतः परामर्श दिया जिसके प्रतिपुनर में सचिव, नगर पंचायत गारंटे के पत्र संख्या- न०५०/ गारंटे/327 दिनांक संख्या-208 दिनांक 13.05.2024 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत गारंटे के ध्यानार्थ लाया गया। कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी। उक्त वर्सूली हेतु शेष राशि का प्रकरण अंकेक्षण अधिधायन है। परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा इस संदर्भ में नियमानुसार ऐसी कोई भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता की वर्सूली हेतु प्रेषित करना अपेक्षित पर सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति को वारंट जारी करेगा तथा वारंट जारी करने के बाबाजूद भी है, तो सम्बन्धित सचिव देय कर राशि खर्च व लागत सहित वर्सूलने हेतु निर्धारित एवम विहित प्रपत्र जारी होने के 15 दिन के भीतर भी नगर परिषद/ नगर पंचायत को देयकर का भुगतान नहीं करता नियम 258 के उपनियम (2) व (3) के अनुसार यदि सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति नोटिस का सचिव लिखित में सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर नोटिस जारी करेगा। इत्यादि के रूप में देय हो व देय तिथि के 15 दिन बाद भी अदत रहती है, तो संबंधित नगर पंचायत प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के प्रावधानानुसार यदि कोई राशि / देयक म्युनिसिपल ब्यूल्डिंग्स नगर पंचायत गारंटे/327 दिनांक 31.03.2024 को गृहकार की बकाया राशि ₹3120923 वर्सूली हेतु शेष थी। हिमाचल नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को यथा परिशिष्ट-(क) पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के

अवगत करवाया जाए।

नियमानुसार सरचार्ज लगाकर बसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को का औचित्य स्पष्ट किया जाए व समय पर गृह कर न चुकाने वाले गृहकर दाताओं से बकाया राशि निदेशक, शहरी विकास विभाग के निर्देशानुसार गृहकर की बकाया राशि पर सरचार्ज न लगाने पर अधिभार की बसूली भविष्य में कर ली जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया। अतः पत्र संख्या- न०५०/ गारट/३२७ दिनांक १५.०५.२४ द्वारा स्पष्ट किया कि गृहकर की बकाया राशि नगर पंचायत गारट के ध्यानार्थ लया गया। जिसके प्रतिपुत्र में सचिव, नगर पंचायत गारट के है। वर्तित अनियमितता अंकेक्षण अध्याचना संख्या- २०५ दिनांक १३.०५.२०२४ के अंतर्गत सचिव, के रूप में ₹३१२०९२ (३१२०९२३×१०%) की वित्तीय हानि हुई है। जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता नगर पंचायत को दिनांक ३१.०३.२४ तक गृह कर बसूली हेतु शेष ₹३१२०९२३ पर १०% सरचार्ज कर न चुकाने पर बकाया राशि पर १०% की दर से सरचार्ज नहीं लगाया गया था, जिसके कारण यद्यपि निर्धारित समय पर कर चुकाने पर १०% की छूट तो दी गई थी, परन्तु निर्धारित समय पर से सरचार्ज लगाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा परन्तु निर्धारित समय अवधि पर कर की राशि जमा न करवाने पर बकाया राशि पर १०% की दर १० दिनों के भीतर कर जमा करवाने पर, कर की राशि पर २०% की छूट दी जानी अपेक्षित है, दिनांक २०-०६-०३ द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार चार्ल्स वर्ष का गृह कर बिल जारी होने के उपरान्त निदेशक शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UD-H(B)(15)-4-99

हानि:-

(ख) गृह कर की बकाया राशि पर सरचार्ज न लगाने के कारण ₹३.१२ लाख की वित्तीय

दौरान आरम्भिक शेष में जोड़ दिया गया है)

₹६७३८५ दर्ज करने के कारण ₹२७ कम शेष दर्ज किया गया था, जिसको वर्तमान अंकेक्षण के (नोट:- गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में लिपिकीय त्रुटि के कारण वास्तविक छूट ₹६७३५८ की जगह

वर्ष	प्रारंभिक	मांग (₹)	कुल योग	प्राप्ति (₹)	छूट (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2023-24	3239968	1073720	4313688	1121590	71175	3120923

(घ) गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर में पेज अनुसार योग दर्ज किया जाना एवं संग्रहण रजिस्टर में पेज अनुसार योग दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान गृहकर का आंशिक शेष, मांग, योग, वसूली गई राशि, छूट व वसूली हेतु शेष राशि का पेज अनुसार का योग दर्ज नहीं किया गया था। अतः गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर में पेज अनुसार योग दर्ज किया जाना एवं संग्रहण रजिस्टर में पेज अनुसार योग दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान गृहकर का आंशिक शेष, मांग, योग, वसूली गई राशि, छूट व वसूली हेतु शेष राशि का पेज अनुसार का योग दर्ज नहीं किया गया था। अतः गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर में पेज अनुसार योग दर्ज किया जाना एवं संग्रहण रजिस्टर में पेज अनुसार योग दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

क्रम	संख्या	गृहकरदाता का नाम	गृहकर रजिस्टर में पेज संख्या व कम संख्या	वित्तीय वर्ष 2023-24 का आंशिक शेष (रु)	दर्शाया गया आंशिक शेष (रु)	मांग	पुनः निर्धारण उपरान्त दर्शाई गई मांग
1	श्री बलवीर सिंह	वार्ड संख्या - 3	63/70	0	0	459	0
2	श्री बलवीर सिंह	वार्ड संख्या - 3	64/83	9616	2298	4808	2298

जाए।

(ग) गृहकर रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि निर्धारित विवरणानुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान गृहकर रजिस्टर में श्री बलवीर सिंह गृहकरदाता का गृहकर वित्तीय वर्ष 2021-22 में पुनः निर्धारण दर्शाकर गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि व गृहकर मांग को कम किया गया था। गृहकर पुनः निर्धारण से सम्बन्धित अभिलेख व सदन द्वारा पारित प्रस्ताव को अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त गृहकर रजिस्टर में गृहकर पुनः निर्धारण की प्रविष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः गृहकर का पुनः निर्धारण से सम्बन्धित सदन का प्रस्ताव व अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त यदि उक्त गृहकर पुनः निर्धारण वित्तीय वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित था तब उक्त प्रविष्टि को वित्तीय वर्ष 2021-22 में इन्टराल क्वॉ नही किया गया, जिसका भी औचित्य स्पष्ट किया जाए।

सचिव, नगर पंचायत गारुड द्वारा अंकेक्षण को परिशिष्ट - व (1) पर उपलब्ध करवाई गई है।
सर्वना के अनुसार दिनांक 31.03.24 तक दृकानदारी से अंकेक्षण का नवीनीकरण नहीं करवाया गया था। अतः दृकानदारी से अंकेक्षण का नवीनीकरण न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व

(ख) दिनांक 31.03.24 तक दृकानदारी से अंकेक्षण का नवीनीकरण न करवाना :-

वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष	मांग	योग	वसूली गई राशि (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2023-24	604007	732478	1336485	722566	613919

दृकान किराया

को अवगत करवाया जाए।

वसूली हेतु नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग हेतु शेष राशि की शीघ्र वसूली कर ली जाएगी। अतः प्रतिवृत्त के अनुसार दृकानों के किराये की पंचायत गारुड के पत्र संख्या- न० प०/ गारुड/327 दिनांक 15.05.24 द्वारा स्पष्ट किया कि वसूली अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत गारुड के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतिवृत्त में सचिव, नगर की वसूली हेतु शेष राशि का प्रकरण अंकेक्षण अध्यायचना संख्या- 205 दिनांक 13.05.2024 के नगर परिषद द्वारा इस संदर्भ में कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। उक्त दृकान किराया प्रकरण बिना समाहर्तों की वसूली हेतु प्रेषित करना अपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि को वारंट जारी कराने के बावजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण खर्च व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवं विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति पंचायत/ नगर निगम को दायकर का भुगतान नहीं करता है, तो सम्बन्धित सचिव देय कर राशि सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर भी नगर परिषद/ नगर को विहित प्रपत्र पर नोटिस जारी करेगा। नियम 258 के उपनियम (2) व (3) के अनुसार यदि रहता है, तो संबंधित नगर पंचायत लिखित में सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति राशि/ टैक्स म्युनिसिपल बिल्ड इत्यादि के रूप में देय हो व देय तिथि के 15 दिन बाद भी अदा वसूली हेतु शेष थी। हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के प्रावधानानुसार यदि कोई अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक निधिवरन्नानुसार दृकानों के किराये के रूप में ₹613919 नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को यथा परिशिष्ट- (व) पर उपलब्ध करवाई गई सर्वना के

(क) दृकानों के किराये की बकाया राशि ₹6.14 लाख वसूली हेतु शेष :-

10 दृकान किराया :-

विभाग की भी अवगत करवाया जाए।

नियमानुसार वृत्त ठोस कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से इस कि वसूली हेतु शेष राशि की शीघ्र वसूली कर ली जाएगी। अतः वर्तित बकाया राशि की वसूली हेतु सचिव, नगर पंचायत गारेट के पत्र संख्या- नं०५०/गारेट/३२७ दिनांक १५.०५.२४ द्वारा स्पष्ट किया १३.०५.२०२४ के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत गारेट के ध्यानार्थ लया गया। जिसके प्रतियुत्तर में शेष बची राशि की वसूली न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधिवाचना संख्या- २०५ दिनांक २२६२५०० की राशि वसूली हेतु शेष थी। मोबाइल टावर स्थापना/ नवीनीकरण शुल्क के रूप में अनुसार दिनांक ३१.०३.२४ तक मोबाइल टावर स्थापना/ नवीनीकरण शुल्क की निमानुसार नगर पंचायत द्वारा यथा परिशिष्ट- (अ) पर अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के

12 मोबाइल टावरों के स्थापना / नवीनीकरण शुल्क ₹२.६३ लाख वसूली हेतु शेष:-

वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष	मांग	योग	वसूली (₹)	शेष राशि (₹)
2023-24	59390	31450	90840	28500	62340
चुंछा कर					

विभाग की अवगत करवाया जाए।

नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनपालना से इस राशि की शीघ्र वसूली कर ली जाएगी। अतः प्रतियुत्तर के अनुसार चुंछा कर की वसूली हेतु गारेट के पत्र संख्या- नं०५०/गारेट/३२७ दिनांक १५.०५.२४ द्वारा स्पष्ट किया कि वसूली हेतु शेष सचिव, नगर पंचायत गारेट के ध्यानार्थ लया गया। जिसके प्रतियुत्तर में सचिव, नगर पंचायत हेतु शेष राशि का प्रकरण अंकेक्षण अधिवाचना संख्या- २०५ दिनांक १३.०५.२०२४ के अंतर्गत अनुसार दिनांक ३१.०३.२०२४ तक चुंछा कर के रूप में ₹६२३४० वसूली हेतु शेष थी। उक्त वसूली नगर पंचायत द्वारा यथा परिशिष्ट- (अ) पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के

11 चुंछा कर के रूप में ₹०.६२ लाख वसूली हेतु शेष

जाए व अनपालना से इस विभाग की अवगत करवाया जाए।

सम्बन्धित दृकानदारी से अनुबंधों का नवीनीकरण शीघ्र अति शीघ्र करवाया जाना सुनिश्चित किया

होमवेल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल० एस० जी० (1) 9 / 94 दिनांक 24-08-2000 के अनुसार नगर पंचायत/परिषद क्षेत्र में बिजली की कुल खपत पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से विद्युत उपकर विद्युत बोर्ड द्वारा नगर पंचायत को भुगतान किए जाने का प्रावधान है। नगर पंचायत द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार अवधि 1-04-2023 से 31-03-2024 हेतु विद्युत उपयोग कर की वसूली विद्युत विभाग से नहीं की गई थी। उक्त राशि की वसूली न करने का प्रकरण अंकेक्षण अध्याचना संख्या- 220 दिनांक 14.05.2024 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत गारेट के ध्यानाधीन लाया गया। जिसके प्रतिपत्तर में सचिव, नगर पंचायत गारेट के पत्र संख्या- न० ५०/ गारेट/327 दिनांक 15.05.24 द्वारा स्पष्ट किया कि विद्युत उपकर की वसूली शीघ्र ही कर ली जाएगी। अतः विद्युत उपयोग कर की वसूली विद्युत विभाग से न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित विभाग से डेस राशि की वसूली करना सुनिश्चित

14 विद्युत उपयोग कर की वसूली न करना :-

विभाग को अवगत करवाया जाए।
से की जानी सुनिश्चित की जाए व कुल कायदाही/अनुपालना से होमवेल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग से उठायी जाए तथा उक्त अवधि के लिए देय धराब उपकर की वसूली सम्बन्धित विभाग उपकर की वसूली शीघ्र ही कर ली जाएगी। अतः धराब उपकर की वसूली का प्रकरण सम्बन्धित पंचायत गारेट के पत्र संख्या- न० ५०/ गारेट/327 दिनांक 15.05.24 द्वारा स्पष्ट किया कि धराब अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत गारेट के ध्यानाधीन लाया गया। जिसके प्रतिपत्तर में सचिव, नगर राशि की वसूली न करने का प्रकरण अंकेक्षण अध्याचना संख्या- 220 दिनांक 14.05.2024 के गाई धराब की बोलियों पर एक रूपरेखा की वसूली न होने की गई थी। उक्त 31-03-2024 तक के दौरान आबकारी एवं करधान विभाग से नगर पंचायत गारेट क्षेत्र में बेची नगर पंचायत गारेट द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार अवधि 1-04-2023 से

13 धराब उपकर की वसूली न करना:-

वित्तीय वर्ष	आंशिक	मांग	योग	वसूली	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2023-24	262500	0	262500	0	262500

मोबाइल टावर

क्रम	शीर्ष	संख्या	प्रति माह	दर	आरम्भिक शेष (वर्ष 2022-23 का अन्तिम शेष)	मांग	योग	वसूली गार्ड राशि (₹)	शेष राशि (₹)	सं०
1	घर	921	30	44480	921x30x12	331560	376040	282520	93520	
2	दुकान	616	50	199770	616x50x12	369600	569370	400515	168855	

वित्तीय वर्ष 2023-24

16 घर-घर कैंडा संग्रहण प्रभार राशि ₹4.12 लाख की वसूली न करना:-
अकेक्षण को यथा परिधि-क्षेत्र पर उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार नगर पंचायत गारिटे द्वारा नगर पंचायत परिधि में स्थित घरों, दुकानों, व्यावसायिक संस्थानों व कार्यालयों से घर-घर कैंडा संग्रहण प्रभारों की दिनांक 31.03.2024 तक निम्न विवरणानुसार ₹411675 वसूली नहीं की गई थी।

विभाग को अवगत कराया जाए।
को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इसे की राशि को शीघ्र ही सरकारी कोष में जमा करावा दी जाएगी। अतः प्रतियुत्तर अनुसार उक्त राशि पत्र संख्या- नं०५०/ गारिटे/327 दिनांक 15.05.24 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क नगर पंचायत गारिटे के ध्यानाधीन लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में सचिव, नगर पंचायत गारिटे के माया था। उक्त प्रकरण अकेक्षण अधिपतिवना संख्या- 221 दिनांक 14.05.2024 के अंतर्गत सचिव, पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि ₹2800 को सम्बन्धित विभाग में जमा नहीं कराया। अधिपतिवना संख्या WLF-A(3)/1/97 दिनांक 17.12.2004 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश विवाह अधिसूचना नियम 2004 के उपनियम 9 व अधिसूचना संख्या- SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 4.10.2016 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम 2016 के उपनियम 3 अनुसार प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को राजकीय कोष में मद 0235-00-800-03 में जमा कराया जाना अपेक्षित था। लेकिन अकेक्षण के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विवाह नगर पंचायत द्वारा समालोक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग हिमाचल प्रदेश की करवाना:-

15 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि ₹2800 को सरकारी कोष में जमा न करवाया जाए।

किया जाए। कृत कायवाही/अनुपालना से हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को अवगत

2023-24 के दौरान घर-घर कैंडा संग्रहण प्रभारों के रूप में वसूली हेतु जारी की गई रसीदों का रसीदों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वित्तीय वर्ष (iv) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान घर-घर कैंडा संग्रहण प्रभारों की वसूली हेतु जारी की गई शीघ्र तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। संग्रहण प्रभार रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त रजिस्टर शीघ्र अति दिनांक 31.03.2024 तक कितनी-कितनी राशि वसूली हेतु शेष थी। अतः घर-घर कैंडा मांग एवं घर कैंडा संग्रहण प्रभारों के रूप में कि किस घर, दुकान, व्यावसायिक संस्थान व कार्यालय की एवं संग्रहण प्रभार रजिस्टर तैयार न करने के कारण यह सत्यापित नहीं किया जा सकता कि घर- (iii) घर-घर कैंडा मांग एवं संग्रहण प्रभार रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है। घर-घर कैंडा मांग इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

घर कैंडा संग्रहण प्रभारदाताओं से शीघ्र अति शीघ्र की जाना सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से ₹411675 की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित घर- रहा है। अतः दिनांक 31.03.24 तक घर-घर कैंडा संग्रहण प्रभारों के रूप में शेष बची राशि नगर पंचायत में सफाई के ठेके पर तैनात सफाई कर्मचारियों द्वारा घर-घर कैंडा संग्रहित किया जा (iii) घर-घर कैंडा संग्रहण प्रभारों के रूप में दिनांक 31.03.24 को ₹411675 वसूली हेतु शेष थी। सम्पूर्ण विवरण तैयार करके अंकेक्षण में प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष राशि का हेतु शेष दर्ज नहीं किया गया था। अतः वित्तीय वर्ष 2022-23 के पूर्व के वर्षों का वसूली हेतु शेष वर्ष 2022-23 का ही शेष दर्शाया गया है। लेकिन वित्तीय वर्ष 2022-23 के पूर्व के वर्षों का वसूली (i) उपरोक्त उल्लिखित घर-घर कैंडा संग्रहण प्रभारों का आंशिक शेष के रूप में केवल वित्तीय है। चिनका निराकरण किया जाए।

उपरोक्त उल्लिखित घर-घर कैंडा संग्रहण प्रभारों के सन्दर्भ में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियानितया

3	ब्लैक (बड़ा)	6	1000	38000	6x1000x12	72000	110000	0	110000
4	ब्लैक (छोटा)	2	100	0	2x100x12	2400	2400	1400	1000
5	विद्युत शीश	7	100	2900	7x100x12	8400	11300	4000	7300
6	कार्यालय	14	200	26100	14x200x12	33600	59700	28700	31000
				311250		817560	1128810	717135	411675

उपरोक्त उल्लिखित अनियमितताओं का प्रकरण अंकेक्षण अध्यापना संख्या- 221 दिनांक 14.05.2024 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत गारंट के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में सचिव, नगर पंचायत गारंट के पत्र संख्या- न०५०/ गारंट/327 दिनांक 15.05.24 द्वारा स्पष्ट किया कि घर-घर कैंडा संग्रहण प्रभारों की शोध राशि की वसूली शीघ्र ही कर ली जाएगी। अतः प्रतियुत्तर अनुसार घर-घर कैंडा संग्रहण प्रभारों की शोध राशि की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	दिनांक	रोकड़ बही में दर्ज राशि (₹)
1	2.03.24	5500
2	4.03.24	14040
3	5.03.24	2460
4	15.03.24	4500
5	16.03.24	2400
6	26.03.24	6210
7	30.03.24	39520
		74630

प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित रसीदें अंकेक्षण में सत्यापना हेतु 3/24 के दौरान घर-घर कैंडा संग्रहण प्रभारों के रूप में वसूली गई राशि से सम्बन्धित रसीदें रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज की गई थी, वास्तव में उतनी ही राशि वसूली गई थी। अतः माह में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। जिससे यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि खिलानी राशि ₹74630 रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज की गई थी, लेकिन उक्त आय से सम्बन्धित रसीदें अंकेक्षण (v) अंकेक्षण हेतु चयनित माह 3/24 के दौरान घर-घर कैंडा संग्रहण प्रभारों के रूप में निम्नानुसार

में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित रजिस्टर अंकेक्षण

आधार मूल्य / सुरक्षित मूल्य घोषित करने उपरान्त गत वर्ष की ठेका राशि से उच्च राशि पर है। नियमानुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 की ठेका राशि ₹11,01,100 की आगामी वित्तीय वर्ष हेतु आबंटित करने के कारण नगर पंचायत गारंटेड को ₹246000 की आय के रूप में वित्तीय हानि हुई वर्ष 2023-24 में बस अड्डा नीलामी का ठेका ₹246000 (11,01,100-8,55,100) की कम दर पर ₹11,01,100 में आबंटित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2019-20 की ठेका राशि की तुलना में वित्तीय था। वित्तीय वर्ष 2019-20 में बस अड्डा नीलामी का ठेका श्री सुरेन्द्र कुमार, ठेकेदार को सुभाष चंद सुपुत्र श्री रोशन लाल, गांव कलौह, जिला ऊना को ₹855100 में आबंटित किया गया 10.03.2023 को की गई। जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 में बस अड्डा की नीलामी का ठेका श्री अकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत गारंटेड द्वारा बस अड्डा की नीलामी दिनांक

करने के कारण ₹2.46 लाख की वित्तीय हानि:-

18 बस अड्डा की नीलामी का ठेका गत वर्ष की ठेका राशि की तुलना में कम दरों पर आबंटित करवाया जाए।

उपरान्त उक्त राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत स्पष्ट किया जाए व टेंडर लाइसेंस फीस के रूप में हुई आय की हानि का उत्तरदायित्व निर्धारण करने जारी न करने व टेंडर लाइसेंस फीस के रूप में ₹645000 की वसूली न करने का औचित्य की परिधि में स्थित 645 नंबर टुकानों, होटलों, ढाबों व अन्य व्यवसायिक संस्थानों को टेंडर लाइसेंस 15.05.24 द्वारा स्पष्ट किया कि टेंडर लाइसेंस की वसूली शीघ्र कर ली जाएगी। अतः नगर पंचायत जिसके प्रतिपुत्र में सचिव, नगर पंचायत गारंटेड के पत्र संख्या- नं०प०/ गारंटेड/327 दिनांक संख्या- 216 दिनांक 14.05.2024 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत गारंटेड के ध्यानार्थ लाया गया। ₹645000 की आय की हानि हुई थी। उक्त वसूली न करने का प्रकरण अकेक्षण अधिष्ठापना जिसके कारण नगर पंचायत को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान टेंडर लाइसेंस फीस के रूप में संस्थानों को न तो टेंडर लाइसेंस जारी किए गये व न ही टेंडर लाइसेंस फीस की वसूली की गई थी। दौरान नगर पंचायत की परिधि में स्थित 645 नंबर टुकानों, होटलों, ढाबों व अन्य व्यवसायिक प्रस्ताव पारित किया गया था। लेकिन अकेक्षण के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के को टेंडर लाइसेंस जारी किए जाने व टेंडर लाइसेंस फीस ₹1000 वार्षिक दर से वसूली करने का अंतर्गत नगर पंचायत की परिधि में स्थित टुकानदारों, होटलों, ढाबों व अन्य व्यवसायिक संस्थानों नगर पंचायत गारंटेड के कार्यावाही रजिस्टर के प्रस्ताव संख्या 136 दिनांक 9.11.20 के

17 टेंडर लाइसेंस फीस राशि ₹6.45 लाख की वसूली न करना:-

क्र०	कर्मचारी का नाम व पदनाम	वृत्ति	देय वेतन (₹)	दिया गया वेतन (₹)	अन्तर	टिप्पणी
1.	श्री अशोक कुमार, ड्राईवर	1.08.16	23300	26400	3100	
		1.01.16	22600	25600	3000	

प्रतीत होता है।

अंकेक्षण के दौरान नगर पंचायत कर्मचारियों की सेवापत्रिकाओं के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार गलत वेतन निर्धारण करने के कारण अवधि 01.01.2022 से 31.03.2024 तक वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹175565 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया।

गलत भुगतान:-

19 गलत वेतन निर्धारण के कारण वेतन एवं भत्तों के रूप में राशि ₹1.76 लाख का अधिक एवं

करवाया जाए।

का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए व कृत कार्यवाही/अनुपालना से इस विभाग को अवगत कम दरों पर आबंटित करने के कारण नगर पंचायत गारंट को हुई ₹246000 की वित्तीय हानि प्रक्रिया अपनाने के कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 में बस अड्डा नीलामी का ठेका राशि ₹246000 संतोषजनक नहीं है। अतः गत वर्षों की ठेका राशि की अनदेखी करते हुए, नीलामी की दोषपूर्ण उच्चतम ठेकेदार को ही आबंटित किया गया, इससे बढ़कर अन्य किसी ने भी बोली नहीं की। उत्तर गारंट/327 दिनांक 15.05.24 द्वारा स्पष्ट किया कि बस अड्डा की नीलामी का ठेका खुली बोली में के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में सचिव, नगर पंचायत गारंट के पत्र संख्या- न०प०/ अंकेक्षण अधिव्यवना संख्या- 212 दिनांक 14.05.2024 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत गारंट की बस अड्डा नीलामी की कार्यवाही पर प्रश्न विनष्ट लगाता है। उक्त वित्तीय हानि का प्रकरण अनियमितता के निपटारे हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी, जोकि स्वतः नगर पंचायत गारंट 17(क) में उक्त अनियमितता बारे आपत्ति उठाई गई थी, लेकिन नगर पंचायत गारंट द्वारा उक्त की वित्तीय हानि हुई है। अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.04.2020 से 31.03.2022 तक के पैरा संख्या- 246000 कम दरों पर आबंटित किया गया, जिसके कारण नगर पंचायत गारंट को ₹246000 की दोषपूर्ण प्रक्रिया अपनाने के कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 में बस अड्डा नीलामी का ठेका थी। नगर पंचायत गारंट द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 की ठेका राशि की अनदेखी करते हुए, नीलामी नीलामी/बोली न लगाने की अवस्था में नीलामी को रद्द करके पुनः नीलामी करवाई जानी अपेक्षित थी व वित्तीय वर्ष 2019-20 की ठेका राशि से उच्च राशि पर

क्र०	कर्मचारी का नाम व पदनाम	अवधि	देय वेतन	दिया गया वेतन	अन्तर	सर्वगाई भत्ते की दर	सर्वगाई भत्ता	योग	सासों की संख्या	आधिक एवं गलत भुगतान (₹)	कुल आधिक एवं गलत भुगतान (₹)
1.	श्री अशोक कुमार, इंफ़र	1.01.22 से 31.07.22	27000	30600	3600	34%	1224	4824	7	33768	134000
		1.08.22 से 31.07.23	27800	31500	3700	34%	1258	4958	12	59496	

निम्नलिखित प्रकार से है :-

अवधि 1.01.22 से 31.03.2024 तक किए गये आधिक एवं गलत भुगतान ₹175565 का विवरण

3	श्रीमती सुष्मा देवी, सचिव	1.01.16 से 1.04.16	38700	40000	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
		1.04.16 से 1.04.17	39900	41200	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
2	श्री हरीश कुमार, सफाई पयक्षक	1.01.16 से 1.04.16	37400	37600	200	200	200	200	200	200	200
		1.04.16 से 1.04.17	38500	38700	200	200	200	200	200	200	200
		1.04.17 से 1.04.18	40900	41100	200	200	200	200	200	200	200
		1.04.18 से 1.04.19	42100	42300	200	200	200	200	200	200	200
		1.04.19 से 1.04.20	43400	43600	200	200	200	200	200	200	200
		1.04.20 से 1.04.21	44700	44900	200	200	200	200	200	200	200
		1.04.21 से 1.04.22	46000	46200	200	200	200	200	200	200	200
		1.04.22 से 1.04.23	47400	47600	200	200	200	200	200	200	200
		1.01.16 से 1.04.16	38700	40000	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
		1.04.16 से 1.04.17	39900	41200	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
		1.04.17 से 1.04.18	41100	42400	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
		1.04.18 से 1.04.19	43700	45000	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
		1.04.19 से 1.04.20	43600	45000	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
		1.04.20 से 1.04.21	44900	46400	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
		1.04.21 से 1.04.22	46200	47800	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
		1.04.22 से 1.04.23	47600	49200	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
		14.10.22 से 14.10.22	49000	-	-	-	-	-	-	-	-
		14.10.22 से 14.10.23	49900	50500	600	600	600	600	600	600	600
		1.10.23 से 1.10.23	51400	52000	600	600	600	600	600	600	600
		1.10.23 से 1.10.23	51400	52000	600	600	600	600	600	600	600

गारट द्वारा अवधि 1.07.2022 से 31.08.2023 तक के दौरान वाई संख्या 1 से 7 में घर-घर फैला सफाई का ठेका देने से सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि नगर पंचायत

सफाई कर्मचारी ठेके पर देने के कारण नगर पंचायत को ₹592900 की वित्तीय हानि :-

20 अवधि 1.07.22 से 31.08.2023 की तुलना में अवधि 1.09.23 से 31.03.2024 तक अधिक

अनुपालना से इस विभाग को अवनत करवाया जाए।

गए अधिक भुगतान ₹175565 की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व किया जाए व वेतन निर्धारण को संशोधित करते हुए अवधि 1.01.2022 से 31.03.2024 तक किए निर्धारित करने के कारण वेतन एवं भत्तों के रूप में किए गये अधिक भुगतान का औचित्य स्पष्ट अतः प्रतिपुत्र अन्सार उपरोक्त उल्लेखित कर्मचारियों को दिये वेतन की जगह अधिक वेतन द्वारा स्पष्ट किया कि सम्बन्धित कर्मचारियों से अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली कर ली जाएगी। प्रतिपुत्र में सचिव, नगर पंचायत गारट के पत्र संख्या- नं०५०/ गारट/327 दिनांक 15.05.24 211 दिनांक 13.05.2024 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत गारट के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके उपरोक्त उल्लेखित अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अध्यावना संख्या-

	3	श्रीमती सुषमा देवी, सचिव	31.03.24	1.10.23 to 31.03.24	51400	52000	600	34%	204	804	6	4824	175565
			14.10.22 to 30.09.23	49900	50500	600	34%	204	804	11 माह 18 दिन	9310	34329	
	2	श्री हरीश कुमार, सफाई पदाधिक	1.04.22 से 31.03.22	47600	49200	1600	34%	544	2144	6 माह 13 दिन	13763		
			1.01.22 से 31.03.22	46200	47800	1600	34%	544	2144	3	6432	7236	
			1.04.23 से 31.03.24	47400	47600	200	34%	68	268	12	3216		
			1.04.22 से 31.03.23	46000	46200	200	34%	68	268	12	3216	40736	
			1.01.22 से 31.03.22	44700	44900	200	34%	68	268	3	804		
			31.03.24	28600	32400	3800	34%	1292	5092	8	40736		

क्र०	वाउचर संख्या/ माह	बिल संख्या/ दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	कय सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य (₹)
1	67/ 9/23	157/ 1.08.23	मै. ठाकुर टाइल्स	पेवर्स ब्लॉक्स	35000	10.55 / प्रति पेवर्स	369250
			महोदय	पेवर्स ब्लॉक्स 80 एम० एम०		सेवा कर 9%	33232.50

विवरणानुसार कय किया गया था।

महोदय रोड अम्बोटा, जिला ऊना (हि० प्र०) से पेवर्स ब्लॉक्स 80 एम० एम० का निम्नलिखित वाउचर संख्या 67 व 68 माह 9/23 के अन्तर्गत मै. ठाकुर टाइल्स एवं बिल के अन्तर्गत किया गया था।

21 पेवर्स ब्लॉक्स 80 एम० एम० का राशि ₹4.97 लाख का अनियमित कय:-

अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा वित्तीय हानि की भरपाई उचित स्तर से सुनिश्चित करके हुई वित्तीय हानि का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए या तो इसे नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की बहौदारी की जाती अनिवार्य थी। अतः अत्याधिक मात्रा में सफाई कर्मचारी ठेके पर लेने के कारण कड़ा उठाना व कड़े का पृथक्करण को सुचारु रूप से चलाने के लिए सफाई कर्मचारियों की संख्या- न०५०/ गारेट/327 दिनांक 15.05.24 द्वारा स्पष्ट किया कि नगर पंचायत क्षेत्र में घर-घर पंचायत गारेट के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतिपुत्र में सचिव, नगर पंचायत गारेट के पत्र का प्रकरण अकक्ष्ण अधिवाचना संख्या- 204 दिनांक 13.05.2024 के अन्तर्गत सचिव, नगर सफाई के कार्य हेतु केवल 8 सफाई कर्मचारी ठेके पर लिए जाने अपेक्षित थे। उक्त वित्तीय हानि वृद्धि नहीं हुई है। नगर पंचायत गारेट में सफाई कर्मचारियों का 8 पद स्वीकृत है। नियमानुसार उल्लेखित करना नितांत अनिवार्य है कि उपरोक्त अवधि में नगर पंचायत के क्षेत्रफल में कोई भी (2117500/25x7) की वित्तीय हानि हुई थी जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये। यहाँ यह भी कर्मचारी ठेके पर लेने के कारण नगर पंचायत को 1.09.2023 से 31.03.2024 तक ₹592900 31.08.2023 तक की तुलना में अवधि 1.09.2023 से 31.03.2024 तक के दौरान 7 अधिक सफाई 31.03.2024 तक 7 माह हेतु व्यय ₹2117500 (302500x7) किया गया। अवधि 1.09.2022 से सफाई हेतु हेतु 25 सफाई कर्मचारी ठेके पर लिए गए थे। जिन पर अवधि 1.09.2023 से से 31.03.2024 तक के दौरान वाउचर संख्या 1 से 7 में घर-घर कड़ा एकत्रित करने व वाउचर की एकत्रित करने व वाउचर की सफाई हेतु 18 सफाई कर्मचारी ठेके पर लिए गए थे। अवधि 1.09.2023

अनुपालना में कथ किया जाना अपेक्षित था, परन्तु नगर पंचायत द्वारा उक्त आदेशों की अवहेलना are brought on the Government e-Marketplace (Gem) portal at the earliest" की eMarket place (Gem)-26587-648 दिनांक 22.08.2022 के अनुसार "All ULB's in the state (iii) निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UD-H(B) Gem-/2018- व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

को नियमित करवाने हेतु सक्षम अधिकारी से कार्यान्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए को कथ करने हेतु टेंडर आमंत्रित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त अनियमित कथ प्रवर्तक 80 एम० एम० का कथ निविदाओं के आधार पर किया गया है। अतः उपरोक्त सामान System shall not be less than three." जबकि उपरोक्त कम संख्या (1) व (2) पर उल्लिखित more responsive bids on competitive basis. The number of firms in Limited Tender post or courier or e-mail to the firms dealing with the required goods to obtain Copied of the tender document shall be sent directly by speed post or registered shall be adopted one lakh and upto 10 lakh or such limit may be prescribed. वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 103 में वर्णित प्रावधानानुसार "Limited Tender System एक लाख रूपए तक का सामान ही निविदाओं द्वारा कथ किया जा सकता है व हिमाचल प्रदेश राशि के सामान का कथ टेंडर आमंत्रित करके किया जाना अनिवार्य था, क्योंकि कथ समिति द्वारा (ii) हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 101 के अनुसार एक लाख रूपए से अधिक की किया जाए।

उपरोक्त उल्लिखित कथ के सन्दर्भ में निर्धारित अकेला अभियुक्तियाँ हैं। निम्नका निरकरण

कम संख्या (1) व (2) का कुल योग (435715+61000) = ₹496715

2	68/	9/23	28.08.23	158/	मि. ठाकुर टाडैल्स पेवर्स ब्लॉक्स 80 एम० एम०	4900	10.55 / प्रति प्रवर्तक	ब्लॉक	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर 9%	4652.55	राज्य वस्तु एवं सेवा कर 9%	4652.55	योग	61000
					प्र०) विभा. कना (हि०)				सेवा कर 9%	33232.50	राज्य वस्तु एवं सेवा कर 9%		योग	435715

क्रम संख्या	माह	कम (किग्रा ग्राम)	दर	राशि (₹)
1	अप्रैल/2023	153	75	11475
2	मई/2023	195	75	14625

जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।
 रहा है। अतः प्रतिपुत्र अनुसार उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित विभाग से की जानी सुनिश्चित की
 नं०प०/गारट/327 दिनांक 15.05.24 द्वारा स्पष्ट किया कि सम्बन्धित विभाग से पत्राचार किया जा
 गारट के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतिपुत्र में सचिव, नगर पंचायत गारट के पत्र संख्या-
 प्रकरण अंकेक्षण अध्याचना संख्या- 217 दिनांक 14.05.2024 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत
 126075 का भुगतान किया गया था, जिसकी वसूली सम्बन्धित विभाग से नहीं की गई थी। उक्त
 Waste कम हेतु नगर पंचायत गारट द्वारा विवीय वर्ष 2023-24 के दौरान निम्न विवरणानुसार
 F(4)-1/2017 दिनांक 1.10.2019 के अनुसार ₹75 प्रति किग्रा ग्राम की दर से Single Use Plastic
 तकनीकी एवं प्यावरण विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या STE-

bags की ₹1.26 लाख की वसूली सम्बन्धित विभाग से न करना :-

22 Buy-back of Non-recyclable and Single Use Plastic Waste including plastic

स्वीकृति प्राप्त की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।
 गया था। अतः उपरोक्त अनियमित कम को नियमित करवाने हेतु संक्षम अधिकारी से कार्यान्तर
 कम न तो टेंडर आमंत्रित करके व न ही Government e-Marketplace (GeM) portal से किया
 पूरी होने के बाद पूरे टेंडर व प्रतिभूति भी काटी गई थी। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त
 द्वारा स्पष्ट किया कि जो टेंडर में भाग लेती है वही शर्त निविदाओं में भी लागू गई थी तथा सलाह
 प्रतिपुत्र में सचिव, नगर पंचायत गारट के पत्र संख्या- नं०प०/गारट/327 दिनांक 15.05.24
 दिनांक 14.05.2024 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत गारट के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके
 उपरोक्त उल्लिखित अनियमितताओं का प्रकरण अंकेक्षण अध्याचना संख्या- 213

नियमित करवाया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।
 उक्त अनियमित कम को नियमित करवाने हेतु संक्षम अधिकारी से कार्यान्तर स्वीकृति प्राप्त करके
 Government e-Marketplace (GeM) portal से कम न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व
 portal से न करते हुए खुले बाजार से किया गया। अतः उक्त पेंडिंग 80 एम० एम० को
 करते हुए उक्त पेंडिंग 80 एम० एम० का कम Government e-Marketplace (GeM)

सचिव नगर पंचायत गारेट द्वारा अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना के अनुसार अवधि 1.04.23 से 31.03.24 के दौरान आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, श्रम उपकर व रॉयल्टी के रूप में निम्न विवरणानुसार वसूली गई राशि में से दिनांक 31.03.2024 तक 192324 सम्बन्धित विभागों में जमा नहीं करवाया गया था। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधिवार्षिकी संख्या- 220 दिनांक

31.03.24 तक ₹1.92 लाख सम्बन्धित विभागों में जमा न करवाना :-

24 आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, श्रम उपकर व रॉयल्टी के रूप में वसूली गई राशि में से दिनांक

करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में ऐसी प्रक्रिया से परिहार किया जाए।
नहीं की गई थी। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः सचिवालय के बिल से प्रतिभूति की कटौती न द्वारा स्पष्ट किया कि सचिवालय के बिल से प्रतिभूति की कटौती सफाई का कार्य होने के कारण प्रतिवृत्त में सचिव, नगर पंचायत गारेट के पत्र संख्या- न०५०/ गारेट/327 दिनांक 15.05.24 दिनांक 13.05.2024 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत गारेट के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके (669760x10%) की कटौती नहीं की गई थी। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधिवार्षिकी संख्या- 209 का भुगतान किया गया था। लेकिन उक्त सचिवालय के बिल से प्रतिभूति ₹66976 वाउचर संख्या-26 दिनांक 4.09.23, बिल संख्या-3377 दिनांक 23.08.23 के अंतर्गत ₹669760 NPG/Award Letter/2023-351 व 352 दिनांक 8.05.23 के अनुसार कार्य आर्बाइट करके LOVE HIMACHAL" की काइबर मूर्ति बनवाने हेतु टेंडर आमंत्रित करके कार्य आर्बाइट पत्र संख्या अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्रीमती रेणु बाला हब पठनकोट की भात सिंह व "WE

23 सचिवालय बिल से प्रतिभूति की कटौती न करना ₹0.67 लाख :-

क्र.सं.	विवरण	प्रतिभूति	शेष	कुल
3	जून/2023	225	75	16875
4	जुलाई/2023	311	75	23325
5	अगस्त/2023	145	75	10875
6	सितम्बर/2023	134	75	10050
7	अक्टूबर/2023	334	75	25050
8	नवम्बर/2023	60	75	4500
9	दिसम्बर/2023	84	75	6300
10	जनवरी/2024	20	75	1500
11	फरवरी/2024	10	75	750
12	मार्च/2024	10	75	750
		1681	75	126075

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण हेतु चयनित माह 9/23 के दौरान नगर पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों / अधिकारियों के वेतन बिगों से भविष्य निधि/कर्मचारी अंशदाई प्रदान योजना निधि से योजना निधि की कटौती की गई थी, परन्तु भविष्य निधि/कर्मचारी अंशदाई प्रदान योजना निधि से

न करना :-

26 कर्मचारी भविष्य निधि / कर्मचारी अंशदाई प्रदान योजना निधि खातों को अंकेक्षण में प्रस्तुत

किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

सत्यापना हेतु प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत गया। अतः बस अड्डा व छोटी गाड़ियों की पार्किंग के ठेके से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में उपरोक्त उल्लेखित नीलामी से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गाड़ियों की पार्किंग का ठेका श्री अवनीत जसवाल को ₹35900 में आवांछित किया था। लेकिन 10.03.2023 को की गई थी। बस अड्डा पार्किंग का ठेका श्री सुभाष चन्द को ₹855100 व छोटी पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में बस अड्डा व छोटी गाड़ियों की पार्किंग की नीलामी दिनांक बस अड्डा व छोटी गाड़ियों की पार्किंग के ठेके से सम्बन्धित रजिस्टर के अवलोकन पर

25 नीलामी से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना :-

क्रम	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	वसूली गई राशि (₹)	जमा करवाई गई राशि (₹)	दिनांक 31.03.24 तक जमा करवाने हेतु शेष राशि (₹)
1	2023-24	आयकर	121605	103712	17893
2	2023-24	वस्तु एवं सेवा कर	153960	111628	42332
3	2023-24	श्रम उपकर	65368	0	65368
4	2023-24	रॉयल्टी	66731	0	66731
		कुल योग	407664	215340	192324

करवाया जाए।

विभागों में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत श्रम उपकर व रॉयल्टी के रूप में जमा करवाने हेतु शेष बची राशि को शीघ्र अति शीघ्र सम्बन्धित विभागों में जमा करवा दी जाएगी। अतः प्रतिवृत्तर अनुसार आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, कि आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, श्रम कर व रॉयल्टी के रूप में वसूली की राशि को शीघ्र ही सविब, नगर पंचायत गारेट के पत्र संख्या- न०५०/गारेट/327 दिनांक 15.05.24 द्वारा स्पष्ट किया 14.05.2024 के अंतर्गत सविब, नगर पंचायत गारेट के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतिवृत्तर में

सम्बन्धित व्यक्तिगत खालों को अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यक्तिगत खालों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए वांछित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

27 बजट रजिस्टर का अनुरक्षण न करना

नगर पंचायत द्वारा व्यय से सम्बन्धित बजट रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था। जबकि नियमानुसार बजट रजिस्टर का अनुरक्षण करना अनिवार्य है, ताकि स्वीकृत बजट के अनुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जा सके। अतः वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए अब वांछित अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत किए गए व्ययों को स्वीकृत बजट के अनुसार ही व्यय किया गया है अथवा नहीं। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

28 व्ययों को सदन से अनुमोदित न करवाना

नियमानुसार गत माह के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत किए गए व्यय को आगामी माह की बैठक में सदन से अनुमोदित करवाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में किए व्ययों को सदन से अनुमोदित नहीं करवाया गया था। जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किए गए सम्पूर्ण व्ययों को हाऊस में अनुमोदित न करवाने का औचित्य स्पष्ट करते हुए सम्पूर्ण व्यय के साथ-2 मबिष में गत माह के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत किए गए व्ययों को आगामी माह की बैठक में सदन से अनुमोदित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान करवाई जाये।

29 कर्मचारी पेंशन अंशदान व नियोजता अंशदान रजिस्टर का रख-रखाव न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 का कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना अंशदान व नियोजता अंशदान रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था। जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः कर्मचारी अंशदान व नियोजता अंशदान का रजिस्टर तैयार न करने औचित्य स्पष्ट करते हुए अब वित्तीय वर्ष 2023-24 का कर्मचारी अंशदान व नियोजता अंशदान रजिस्टर का रख-रखाव व अद्यतन करने उपरांत सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

दूरभाष - 0177-2626670
 हिमाला-171009
 हि050 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
 उप निदेशक,
 (अनिल कुमार महरा)
 जिला

22 JUL 2024
 का/रा

- पंजीकृत :
1. निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश हिमाला-171002 को पूरा संख्या: 1 (ख) में वर्णित प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-
 पृष्ठान संख्या: फिन(एल050) (V)69/81 खण्ड-4 दिनांक: हिमाला-171009.
 2. उप सचिव एवं सानि आधिकारी, स्थानीय निधि लेखा सानि, हि050 विधान सभा, हिमाला-04 (हि050) को सूचना हेतु प्रेषित है।
 3. सचिव, नगर पंचायत नारेंट, जिला ऊना (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

दूरभाष - 0177-2626670
 हिमाला-171009
 हि050 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
 उप निदेशक,
 (अनिल कुमार महरा)
 जिला

22 JUL 2024
 का/रा
 3547-3549

- 30 लघु आपत्ति विवरणिका:- यह अलग से जारी नहीं की गई है।
- 31 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

परिशिष्ट - 'क'

पैरा संख्या - 1 (ग) से संदर्भित

गत अंकक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिवार्य पैरों की सूची :-

(1) अंकक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/1982 से 03/1984

1)	पैरा - 16	अनिर्णीत	
----	-----------	----------	--

(2) अंकक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1984 से 03/1985

1)	पैरा - 24 (iii)	अनिर्णीत	
----	-----------------	----------	--

(3) संयुक्त निदेशक तथा परीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का 09.12.1993 व 10.12.1993 का नोट:-

1)	पैरा - 2	अनिर्णीत	
2)	पैरा - 2	अनिर्णीत	

(4) अंकक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1988 से 03/1995

1)	पैरा - 8 (ख)	अनिर्णीत	
2)	पैरा - 9	अनिर्णीत	
3)	पैरा - 11	अनिर्णीत	
4)	पैरा - 14	अनिर्णीत	
5)	पैरा - 15 (iii)	अनिर्णीत	
6)	पैरा - 15 (iv)	अनिर्णीत	

(5) अंकक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1995 से 03/2004

1)	पैरा - 7 (1)	अनिर्णीत	
2)	पैरा - 14	अनिर्णीत	
3)	पैरा - 26	अनिर्णीत	
4)	पैरा - 29	अनिर्णीत	
5)	पैरा - 35	अनिर्णीत	
6)	पैरा - 36	अनिर्णीत	
7)	पैरा - 38	अनिर्णीत	
8)	पैरा - 41	अनिर्णीत	

(6) અંકેક્ષણ एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2004 से 03/2007

1)	પૈરા - 7(iv)	અનિર્ણીત	
----	--------------	----------	--

(7) અંકેક્ષણ एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2011

1)	પૈરા - 5.2	અનિર્ણીત	
2)	પૈરા - 6.4	અનિર્ણીત	
3)	પૈરા - 7.2	અનિર્ણીત	
4)	પૈરા - 7.5	અનિર્ણીત	
5)	પૈરા - 8.3	અનિર્ણીત	
6)	પૈરા - 8.6	અનિર્ણીત	
7)	પૈરા - 8.7	અનિર્ણીત	
8)	પૈરા - 8.8	અનિર્ણીત	
9)	પૈરા - 9.2	અનિર્ણીત	
10)	પૈરા - 9.3	અનિર્ણીત	
11)	પૈરા - 12	અનિર્ણીત	
12)	પૈરા - 13	અનિર્ણીત	
13)	પૈરા - 14	અનિર્ણીત	
14)	પૈરા - 15	અનિર્ણીત	

(8) અંકેક્ષણ एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2011 से 03/2013

1)	પૈરા - 5.3	અનિર્ણીત	
2)	પૈરા - 6.4	અનિર્ણીત	
3)	પૈરા - 6.5	અનિર્ણીત	
4)	પૈરા - 8.1	અનિર્ણીત	
5)	પૈરા - 8.2	અનિર્ણીત	
6)	પૈરા - 8.3	અનિર્ણીત	
7)	પૈરા - 10	અનિર્ણીત	
8)	પૈરા - 11	અનિર્ણીત	

1)	પૈરા - 7	અનિર્ણિત	
2)	પૈરા - 8	અનિર્ણિત	
3)	પૈરા - 10	અનિર્ણિત	
4)	પૈરા - 11	અનિર્ણિત	
5)	પૈરા - 15	અનિર્ણિત	
6)	પૈરા - 16	નિર્ણિત	વિવાહ પંચીકરણ, 820 સરકારી કોષ્ટકમાં જમા કરવાને કિ પૂર્ણ ઉપરાન્ત
7)	પૈરા - 17	અનિર્ણિત	
8)	પૈરા - 18	અનિર્ણિત	
9)	પૈરા - 19	અનિર્ણિત	
10)	પૈરા - 20	અનિર્ણિત	
11)	પૈરા - 23	અનિર્ણિત	
12)	પૈરા - 24	અનિર્ણિત	
13)	પૈરા - 25	અનિર્ણિત	

(10) અંકેશન પૂર્વ નિરીક્ષણ પ્રતિવેદન અર્વાર્થ 04/2014 સે 03/2016

1)	પૈરા - 5.4	અનિર્ણિત	
2)	પૈરા - 6.5	અનિર્ણિત	
3)	પૈરા - 6.6	અનિર્ણિત	
4)	પૈરા - 6.7	અનિર્ણિત	
5)	પૈરા - 6.8	અનિર્ણિત	
6)	પૈરા - 8.1	અનિર્ણિત	
7)	પૈરા - 8.3	અનિર્ણિત	
8)	પૈરા - 9.1	અનિર્ણિત	
9)	પૈરા - 9.2	અનિર્ણિત	
10)	પૈરા - 10	અનિર્ણિત	

(9) અંકેશન પૂર્વ નિરીક્ષણ પ્રતિવેદન અર્વાર્થ 04/2013 સે 03/2014

1)	पैरा - 7 (ख)	अनिर्णित	
2)	पैरा - 7 (ग)	अनिर्णित	
3)	पैरा - 8 (घ)	अनिर्णित	
4)	पैरा - 8 (ङ)	अनिर्णित	
5)	पैरा - 9	निर्णित	विवाह पंजीकरण ₹7470 सरकारी कोष में जमा करने की पुष्टि उपरान्त
6)	पैरा - 10	निर्णित	रॉयल्टी ₹83833 सरकारी कोष में जमा करने की पुष्टि उपरान्त
7)	पैरा - 11	अनिर्णित	
8)	पैरा - 12	अनिर्णित	
9)	पैरा - 13	अनिर्णित	
10)	पैरा - 15	अज्ञात: निर्णित	
11)	पैरा - 16 (क)	अनिर्णित	
12)	पैरा - 16 (ख)	अनिर्णित	

(11) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2016 से 03/2018

14)	पैरा - 27	निर्णित	रॉयल्टी ₹46716 सरकारी कोष में जमा करने की पुष्टि उपरान्त
15)	पैरा - 29	अनिर्णित	
16)	पैरा - 30	अनिर्णित	
17)	पैरा - 31	अनिर्णित	
18)	पैरा - 32	अनिर्णित	
19)	पैरा - 34	अनिर्णित	
20)	पैरा - 35	अनिर्णित	
21)	पैरा - 36	अनिर्णित	
22)	पैरा - 37	अनिर्णित	
23)	पैरा - 38	अनिर्णित	

1)	પૈરા - 6 (જ)	અનિર્ણીત	
2)	પૈરા - 7 (જ)	અનિર્ણીત	
3)	પૈરા - 8 (જ)	અનિર્ણીત	
4)	પૈરા - 9 (જ)	અનિર્ણીત	
5)	પૈરા - 9 (ળ)	અનિર્ણીત	
6)	પૈરા - 13 (ક)	અનિર્ણીત	
7)	પૈરા - 13 (જ)	અનિર્ણીત	
8)	પૈરા - 15	અનિર્ણીત	
9)	પૈરા - 17 (i)	અનિર્ણીત	
10)	પૈરા - 17 (ii)	અનિર્ણીત	
11)	પૈરા - 17 (iii)	અનિર્ણીત	
12)	પૈરા - 17 (iv)	અનિર્ણીત	
13)	પૈરા - 17 (v)	અનિર્ણીત	
14)	પૈરા - 17 (vi)	અનિર્ણીત	
15)	પૈરા - 18 (i)	અનિર્ણીત	
16)	પૈરા - 18 (ii)	અનિર્ણીત	
17)	પૈરા - 18 (iii)	અનિર્ણીત	
18)	પૈરા - 18 (iv)	અનિર્ણીત	
19)	પૈરા - 19	અનિર્ણીત	
20)	પૈરા - 21	અનિર્ણીત	
21)	પૈરા - 22 (i)	અનિર્ણીત	
22)	પૈરા - 22 (ii)	અનિર્ણીત	

(12) અંકેશ્વર પુલ નિરીક્ષણ પ્રતિવેદન અવારંખ 04/2018 સે 03/2020

13)	પૈરા - 16 (ળ)	અનિર્ણીત	
14)	પૈરા - 17	અનિર્ણીત	
15)	પૈરા - 18	અનિર્ણીત	
16)	પૈરા - 19	અનિર્ણીત	

1)	पैरा - 7 (क)	अनिर्णित	
2)	पैरा - 7 (ख)	अनिर्णित	
3)	पैरा - 8 (ख)	अनिर्णित	
4)	पैरा - 9 (ख)	अनिर्णित	
5)	पैरा - 9 (ग)	अनिर्णित	
6)	पैरा - 12	निर्णित	वित्तीय वर्ष 2021-22 की शराब उपकार ₹326354 की वसूली की पुष्टि उपरान्त
7)	पैरा - 14 (क)	अनिर्णित	
8)	पैरा - 14 (ख)	निर्णित	विवाह पंजीकरण शुल्क ₹13600 को सरकारी कोष में जमा करवाने की पुष्टि उपरान्त
9)	पैरा - 15	अनिर्णित	
10)	पैरा - 16	अनिर्णित	

(13) अंकुश एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2020 से 03/2022

23)	पैरा - 22 (iii)	अनिर्णित	
24)	पैरा - 23	अनिर्णित	
25)	पैरा - 25	अनिर्णित	
26)	पैरा - 27(i)	अनिर्णित	
27)	पैरा - 29 (क)	अनिर्णित	
28)	पैरा - 29 (ख)	अनिर्णित	
29)	पैरा - 29 (ग)	अनिर्णित	
30)	पैरा - 29 (घ)	अनिर्णित	
31)	पैरा - 31	अनिर्णित	
32)	पैरा - 34	अनिर्णित	
33)	पैरा - 35	अनिर्णित	
34)	पैरा - 36	अनिर्णित	
35)	पैरा - 37	अनिर्णित	

1)	पैरा - 4	अनिर्णित	
2)	पैरा - 5.2	अनिर्णित	

(14) अंकक्षेत्र एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2022 से 03/2023

11)	पैरा - 17 (क) व (ख)	अनिर्णित	
12)	पैरा - 18	अनिर्णित	
13)	पैरा - 19	निर्णित	₹22200 की वसूली की पुष्टि उपरान्त
14)	पैरा - 20 (क) व (ख)	अनिर्णित	
15)	पैरा - 21	अनिर्णित	
16)	पैरा - 23	अनिर्णित	
17)	पैरा - 24	अनिर्णित	
18)	पैरा - 25	अनिर्णित	
19)	पैरा - 26	अनिर्णित	
20)	पैरा - 28	अनिर्णित	
21)	पैरा - 29	अनिर्णित	
22)	पैरा - 30	अनिर्णित	
23)	पैरा - 31	अनिर्णित	
24)	पैरा - 32 (ग) व (घ)	अनिर्णित	
25)	पैरा - 33	अनिर्णित	
26)	पैरा - 34	अनिर्णित	
27)	पैरा - 35	अनिर्णित	
28)	पैरा - 36	अनिर्णित	
29)	पैरा - 37	अनिर्णित	
30)	पैरा - 38	अनिर्णित	
31)	पैरा - 39	अनिर्णित	
32)	पैरा - 41	अनिर्णित	

3)	पैरा - 6 (ख)	निर्णीत	अनुदानों की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या- 9 (क) पर उल्लेखित
4)	पैरा - 6 (ग)	अनिर्णीत	
5)	पैरा - 6 (घ)	अनिर्णीत	
6)	पैरा - 7	अनिर्णीत	
7)	पैरा - 8	अनिर्णीत	
8)	पैरा - 9	स्वतः निर्णीत	---
9)	पैरा - 10.1	निर्णीत	गृहकार की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या- 10 (क) पर उल्लेखित
10)	पैरा - 10.2	अनिर्णीत	
11)	पैरा - 10.3	अनिर्णीत	
12)	पैरा - 10.4	अनिर्णीत	
13)	पैरा - 10.5	निर्णीत	दुकान किराया की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या - 11 (क) पर उल्लेखित
14)	पैरा - 10.6	अनिर्णीत	
15)	पैरा - 10.7	निर्णीत	पैरा नियमानुसार नहीं है।
16)	पैरा - 10.8	निर्णीत	मोबाइल टावर शुल्क की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या - 13 पर उल्लेखित
17)	पैरा - 10.9	निर्णीत	घुंछा कर की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या - 12 पर उल्लेखित
18)	पैरा - 10.10	अनिर्णीत	
19)	पैरा - 10.11	निर्णीत	₹130 सरकारी कोष में जमा करवाने की पुष्टि उपरान्त

अनिर्णीत है (उप हैरी सहित)	187
वर्तमान में लगाए गए है	27
कुल	214
निर्णीत है	17
शेष अनिर्णीत है (उप हैरी सहित)	205

20)	हैरी - 10.12	निर्णीत	विवाह पंजीकरण शुल्क ₹3925 को सरकारी कोष में जमा करवाने की पुष्टि उपरान्त
21)	हैरी - 10.13	अनिर्णीत	
22)	हैरी - 10.14	निर्णीत	विद्युत उपकरण ₹37530 की वसूली की पुष्टि उपरान्त
23)	हैरी - 10.15	अनिर्णीत	
24)	हैरी - 10.16	अनिर्णीत	
25)	हैरी - 11.1	अनिर्णीत	
26)	हैरी - 11.2	अनिर्णीत	
27)	हैरी - 12	अनिर्णीत	
28)	हैरी - 12.1	निर्णीत	वांछित अभिलेख की पुष्टि उपरान्त
29)	हैरी - 13.1	अनिर्णीत	
30)	हैरी - 13.2	अनिर्णीत	
31)	हैरी - 13.3	अनिर्णीत	
32)	हैरी - 13.4	अनिर्णीत	
33)	हैरी - 13.5	अनिर्णीत	
34)	हैरी - 13.6	अनिर्णीत	
35)	हैरी - 14	अनिर्णीत	
36)	हैरी - 15 (i)	अनिर्णीत	
37)	हैरी - 15 (ii)	अनिर्णीत	
38)	हैरी - 15 (iii)	अनिर्णीत	

-38-

440

कुल योग = 21600

(2) आर्टिकल सहायक = $12 \times 800 = 9600$ (1) सहायक नियन्त्रक = $12 \times 1000 = 12000$

अंकेक्षण शृङ्खला:-

क्रम	अवधि	सहायक नियन्त्रक के कार्य दिवस	आर्टिकल सहायक के कार्य दिवस	संख्या
1	1.05.24 से 4.05.24	4	4	1
2	6.05.24 से 9.05.24	4	4	2
3	13.05.24 से 16.05.24	4	4	3
	कुल दिवस =	12	12	

नगर पंचायत गारेट से अवधि 1-04-2023 से 31-03-2024 तक के अंकेक्षण का अंकेक्षण शृङ्खला का विवरण निम्नानुसार है।

पूरा संख्या - 3 से संदर्भित

परिशिष्ट - (क-1)

नगर पंचायत गगरेट की वित्तीय स्थिति (मुख्य रोकड़ बही)									
वित्तीय वर्ष 2023-24									
शीर्ष का नाम	आरंभिक शेष	आय	ब्याज	हस्तांतरित राशि	कुल योग	व्यय	हस्तांतरित राशि	अन्तिम शेष	
स्वयं स्रोत	7049393.00	5697179.00	1504254.00	0.00	14250826.00	6682380.00	0.00	7568446.00	
अनुदान	38947282.00	17119129.00	0.00	0.00	56066411.00	13735335.00	50000.00	42281076.00	
योग	45996675.00	22816308.00	1504254.00	0.00	70317237.00	20417715.00	50000.00	49849522.00	

17/4/24

39

Secretary
Nagar Panchayat Gagret
Distt Una (H.P.)

Nagar Panchayat Gagret			
Closing Balances Statement as on 31.03.2024 (Main Cash Book)			
Sr. No.	Account Number	Name of Bank	Amount
1	65186448810	SBI Gagret	539656.00
2	3986000100139774	Pubjab National Bank Gagret	63174.00
3	3986000100128051	Pubjab National Bank Gagret	741303.00
4	3986000100021110	Pubjab National Bank Gagret	11737635.83
5	3986000100000010	Pubjab National Bank Gagret	3100008.00
6	50100066640611	HDFC Gagret	2583831.16
7	50100335236060	HDFC Gagret	26920701.30
8	50100487805140	HDFC Gagret	4036549.00
		Total	49722858.29


 Secretary
 Nagar Panchayat Gagret
 Dist. Una (H.P.)

42

42

Nagar Panchayat Gagret

Bank Reconciliation Statement of main cash book as on 31.03.2024

Balance as per cash book

49849522.00

Add :- Cheque issued but not yet presented for payment

Sr. No

Cheque No.

Date

Bank Name

Amount

Date of

Debit

15866.00

2

000039

28.03.2024

HDFC Gagret

5866

05.04.2024

1

308315

28.03.2024

PNB Gagret

10000

06.04.2024

Add:- Excess deposited on dated 15.03.2024

1.00

Add:- Interest credited by bank on dated 31.03.2024 but not entered in cash book

Sr. No

Account No.

Date

Name of bank

Amount

Date of

entry in

cash

book

259310.00

1

50100066640611

31.03.24

HDFC Gagret

18809.00

1.04.24

2

50100335236060

31.03.24

HDFC Gagret

210615.00

1.04.24

3

50100487805140

31.03.24

HDFC Gagret

29886.00

1.04.24

Add:- Round off

0.29

Less:- Cheque sent to bank for collection but not yet credited by bank

Sr. No

Cheque No

Dated

Bank Name

Amount

Date of

credit

289207.00

1

229191

30.03.24

KCC Bank

252520.00

03.04.24

2

000077

30.03.24

HDFC Bank

4021.00

03.04.24

3

000254

30.03.24

UCO bank

8056.00

05.04.24

4

000050

30.03.24

HDFC Bank

16707.00

05.04.24

5

451219

30.03.24

PNB Gagret

7903.00

03.04.24

Less:- Cash in hand

112634.00

Balance as per Pass Book

497222858.29

Secretary
Nagar Panchayat Gagret
Dist. Una (H.P.)

41

400

43

42

42

Secretary
Nagar Panchayat Gagret
Distt. Una (H.P.)

Nagar Panchayat Gagret						
Financial Position of Pension and Gratuity Fund for the period 1.04.2023 to 31.03.2024						
Year	Opening Balance	Income	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
2023-24	10744042.51	719263	300783	11764088.51	994096	10769992.51
Closing Balance Statement of Pension and Gratuity Funds as on 31.03.2024						
Sr. No.	Account Number	Name of Bank	Amount			
1	3986000100023172	PNB Gagret	10769992.51			

Statement of Grant in aid for the year 2023-24 in r/o N.P. Gagret							
Sr No	Head	Opening Balance	Grant Received	Total	Expenditure	Transferred	Closing Balance
1	6th State Finance Commission	10181735	8349392	18531127	6599156		11931971
2	15th Finance Commission	20677709	7659255	28336964	3616288		24720676
3	State Disaster Response Force (SDRF)	0	75000	75000	0		75000
4	DC Gosadan	826008	0	826008	826008		0
5	DC Damage Path bt IPH	446012	0	446012	446012		0
6	SBM (IEC) & Covid -19	63385	130482	193867	143867	50000	0
7	Park	898414	0	898414	0		898414
8	Parking	108861	0	108861	0		108861
9	Solid Waste Management	684558	0	684558	0		684558
10	Mukhya mantri Shahri Avaas Yojna Gurantee Yojna	60600	0	60600	0		60600
11	Atal Shahri Swachta Yojna (ASSV)	5000000	0	5000000	1199004		3800996
12	PMAY (HFA)	0	905000	905000	905000		0
	Total	38947282	17119129	56066411	13735335	50000	42281076

Secretary
Nagar Panchayat Gagret
Distt. Una (H.P.)

43

Statement of Grant-in-aid of Nagar Panchayat Gagret for the period 01-04-2023 to 31-03-2024

Sr. No.	Sanctioning Authority	Name of Head	Letter No	Opening Balance	Grant Received	Total	Expenditure	Transferred	Closing Balance	Cash book page No	Date	Utilisation status	Remarks
1	Director UD Director UD	6th SFC Grant	recupment UD-H(C)(10)-1/2023-SFC Awards-loose-13931-13993 Dt 31-07-2023 UD-H(C)(10)-1/2023-SFC Awards-loose-13931-13993 Dt 31-07-2023		43908 2092150 6213334					92 92 92	31.07.2023 31.07.2023 31.07.2023	Not Sent Not Sent Not Sent	
			Total	10181735	8349392	18531127	6599156		11931971				
2	Director UD	15th FC											
	Director UD		UD-H(C)(10)-1/2020-I-CFC Release-1594-1655 Tied Grant	0	3137					58	05.04.2023	Not Sent	
	Director UD		UD-H(C)(10)-1/2020-I-CFC Release-1532-83 Untied Grant	0	2091					58	05.04.2023	Not Sent	
	Director UD		UD-H(C)(10)-1/2020-I-CFC Release-60623-85 Tied Grant	0	2303915					66	29.04.2023	Not Sent	
	Director UD		UD-H(C)(10)-1/2020-I-CFC Release-60560-622 Untied Grant	0	1535943					66	29.04.2023	Not Sent	
	Director UD		UD-H(C)(10)-3/2020-II-4895-956 tied grant	0	2288492					149	07.03.2024	Not Sent	
	Director UD		UD-H(C)(10)-3/2020-II-4897-5018 untied grant	0	1525677					149	07.03.2024	Not Sent	
			Total	20677709	7650255	28336964	3616288		24720676				
3	Director UD	SPRF	UD-H(F) Rain Damage -Engg.Ceil/2013...6498-6519	0	75000	75000	0		75000	149	07.03.2024	Not Sent	
4	DC	DC Grant for Gosidan		826008	0	826008	826008		0				
5	Executive Eng.Flood	Damage path by JPH		446012	0	446012	446012		0				
6	Director UD	SPI/IEC & Covid-19	SNA ACCOUNT		46527				0	108	7.10.2023	Not Sent	
			SNA ACCOUNT		6035				0	128	02.01.2024	Not Sent	
			SNA ACCOUNT		77920				0	154	22.03.2024	Not Sent	
			Total	63385	130482	193867	143867	50000	0				
7	Director UD	C/o Parking		898414	0	898414	0		898414				
8	Director UD	C/o Park		108861	0	108861	0		108861				
9	Director UD	Solid waste Management		684558	0	684558	0		684558				
10	Director UD	Grant MMSAGY		60600	0	60600	0		60600				
11	Director UD	Assy		5000000	0	5000000	1199004		3800996				
12	Director UD	PMAY(HFA)	SNA ACCOUNT	0	270000				0	60	10.04.2023	Not Sent	
	Director UD		SNA ACCOUNT	0	300000				0	72	17.05.2023	Not Sent	
	Director UD		SNA ACCOUNT	0	130000				0	82	15.06.2023	Not Sent	
	Director UD		SNA ACCOUNT	0	100000				0	89	13.07.2023	Not Sent	
	Director UD		SNA ACCOUNT	0	70000				0	128	27.12.2023	Not Sent	
	Director UD		SNA ACCOUNT	0	35000				0	163	20.03.2024	Not Sent	
			Total	9050000	9050000	9050000	9050000						
			Grand Total	38947282	17119129	56066411	13795335	50000	42281076				

Certified that Credits Grants is checked in cash book as well as in pass books.

(Signature)

Secretary
Nagar Panchayat Gagret
Distt Una (H.P.)

(46)

45

10/10

Secretary
Nagar Panchayat Gagraet
Distt. Una (H.P.)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	मांग	कुल योग	प्राप्ति	अंत शेष
2023-24	604007	732478	1336485	722566	613919

वृकानों का किराया (नगर पंचायत गगरेट)
नगर पंचायत गगरेट के अंकेक्षण अवधि 01-04-2023 से 31-03-2024 को वृकानों के किराए की वकाला राशि की स्थिति

प्राप्त किया - 11 (क) है
प्राप्त किया - 11 (क) है

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	मांग	कुल योग	प्राप्ति	अंत शेष
2023-24	59390	31450	90840	28500	62340

वृकानों कर (नगर पंचायत गगरेट)
नगर पंचायत गगरेट के अंकेक्षण अवधि 01-04-2023 से 31-03-2024 को वृकानों कर की वकाला राशि की स्थिति

प्राप्त किया - 12 है
प्राप्त किया - 12 है

नोट:- गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में लिपिकीय त्रुटी के कारण वास्तविक छूट की राशि 67358/- की जगह 67385/- दर्ज करने के कारण 27/- रं. कम अंतिम शेष दर्ज था जिसको अवधि 1.04.23 से 31.03.2024 को आरम्भिक शेष में जोड़ दिया गया है 1

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	मांग	कुल योग	प्राप्ति	छूट	अंत शेष
2023-24	3239968	1073720	4313688	1121590	71175	3120923

गृहकर (नगर पंचायत गगरेट)
नगर पंचायत गगरेट के अंकेक्षण अवधि 01-04-2023 से 31-03-2024 को गृहकर की वकाला राशि की स्थिति

प्राप्त किया - 10 (क) है
प्राप्त किया - 10 (क) है

List of Shop without Renewal of Agreement 2023-2024

Sr.No.	Name of Shopkeeper	Shop No.
1	Sh.Vipan Kumar	3
2	Sh.Aman Sharma	6
3	Sh.Rajiv Gupta	9
4	Sh.Dinesh Dhimman	10
5	Sh.Arun Kumar	11
6	Sh.Ashish Sharma	12
7	Sh.Sagar	13/46
8	Sh.Harish Kumar	14
9	Shankar Medicine	15
10	Sh.Raj Kumar	16
11	Smt.Indu Aggarwal	18
12	Sh.Mahavir Bhatti	19
13	Sh.Manish Kumar	20
14	Smt.Sameta	21
15	Sh.Kamal Kohli	22
16	Sh.Ashish Jaswal	23
17	Sh.Ashwani Kumar	24
18	Prem Singh Prop. Pm Bus	26
19	Sh.Virdeen	27
20	Smt.Meera Devi	29
21	Smt.Meera Devi	30
22	Sh.Ram Kumar	31
23	Sh.Mohinder Singh	32
24	Sh.Subhakaran	33
25	Sh.Ram Saroop	34
26	Sh.Kulbir Singh	36

Secretary
Nagar Panchayat Gagraet
Dist Una (H.P.)

46

48

48/1/2024 - 11/1/2024

48/1/2024 - 11/1/2024

48

Statement of outstanding Balance of Mobile Towers as on 31.03.2024

Sr. No	Tower company	Outstanding as on 01.04.2023	Due for the year 2023-24	Total	Rental realized during 2023-24	Outstanding as on 31.03.2024
1	BSNL Ward No.05	50000	0	50000	0	50000
2	Airtel Ward No. 01	46875	0	46875	0	46875
3	Airtel Ward No. 07	46875	0	46875	0	46875
4	Vodafone Ward No. 07	56250	0	56250	0	56250
5	AIRCEL Ward No. 07	28750	0	28750	0	28750
6	Reliance Ward No. 06	33750	0	33750	0	33750
7	Jio Ward No. 01(Ajay)	0	0	0	0	0
8	Jio Ward No. 01(Bansi)	0	0	0	0	0
9	Jio Ward No. 01(sunder)	0	0	0	0	0
10	Jio Ward No. 04 (Dr. Bhagirath)	0	0	0	0	0
	Total	262500	0	262500	0	262500

Note :- Annual Demand for 2022-23 is nil due to the clause 6 (G) of chapter 2 of right of way policy, 2021 notified by I.T department Government of Himachal Pradesh vide Notification No. I.T (F)1-1/2020 dated 09-02-2021. There is only provision of clearing all the outstanding Urban Department Tax or any other dues payable upon the land and building applied for installation of telegraph infrastructure it is also certified that no Mobile Tower has been installed on the land of Nagar Panchayat.

[Signature]
District Panchayat Gagraet
Distt. Una (H.P.)

47

[Signature]

[Signature] - 13/4/2024

[Signature] - 13/4/2024

49

प्राप्त - २५

प्राप्त - १७ है

नगर पंचायत गगरेट की घर-घर फैला संग्रहण प्रयत्नों के रूप में वसूली गई राशि का विवरण

वित्तिय वर्ष 2023-24

क्र.सं.	शीर्ष	संख्या	प्रति माह दर	आरम्भिक शेष (वर्ष 2022-23 का अन्तिम शेष)	मांग	योग	वसूली गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	घर	921	30	44480	921x30x12	331560	376040	282520
2	दुकान	616	50	199770	616x50x12	369600	569370	400515
3	बैंक (बड़ा आकार)	6	1000	38000	6x1000x12	72000	110000	0
4	बैंक (छोटा आकार)	2	100	0	2x100x12	2400	2400	1400
5	विद्यालय	7	100	2900	7x100x12	8400	11300	4000
6	कार्यालय	14	200	26100	14x200x12	33600	59700	28700
	योग			311250		817560	1128810	717135
								411675

Secretary
Nagar Panchayat Gargret
Distt Una (H.P.)

48